से न दी जाए और ऐसी किसी भी प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस निदेश को तथा इस विषय पर अनुदेशों को ध्यान में रखकर सरकारी कर्मचारियों को अधिवर्षता के बाद सेवा में वृद्धि अब बहुत ही विरले तथा आपवादिक परिस्थितियों में पूर्णतः लोकहित में मंजूर की जाती है। चूंकि संबंधित मंत्रालयों/विभागों में या उनके अधीन कार्य कर रहे विभिन्न समूहों के सरकारी कर्मचारियों को सेवा में वृद्धि मंजूर करने के लिए उन मंत्रालयों/विभागों में उपयुक्त प्राधिकारी सक्षम है, इसलिए समूह "क" तथा "ख" के जिन कर्मचारियों को सेवा में वृद्धि मंजूर की गई है उनकी संख्या तथा वृद्धि मंजूर किए जाने के कारण इस मंत्रालय में केन्द्रीय रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

दूरदर्शन पर कार्यक्रम को प्रसारित करने के संबंध में नियम

1333. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नेशनल नेट वर्क" पर किसी कार्यक्रम को प्रसारित किए जाने के संबंध में क्या नियम हैं और क्या इस संबंध में कोई संहिता तैयार की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) किसी अधिकारी द्वारा संहिता का उल्लंघन करते हुए समाचार प्रसारित करने पर क्या कार्यवाही की जाती है और पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय संजाल के लिए कार्यक्रमों के चयन के लिए कोई विशिष्ट संहिता निर्धारित नहीं की गई है, जबकि उनके लिए अपनाया गया सामान्य माप-दण्ड अधिक व्यापक अपील और प्रासंगिकता होता है। जहां तक समाचार टेलीकास्ट करने का संबंध है, उनके लिए निर्धारित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत विषयनिष्ठता, निष्पक्षता और समाचार को परिशुद्धत है। जबकि दूरदर्शन का समाचारों को उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत करने का सदैव ही प्रयास रहा है, दर्शकों से समाचारों की परिशुद्धता इत्यादि के संबंध में कुछ शिकायत प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की शिकायतें कि: हों, यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शिकायतों की शीघ्रता से जांच की जाती हैं।

Employed persons secured loans from banks

1334. DR. H. P. SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some employed persons have secured loans from the Banks on the basis of false documents;

(b) if so, whether Government have recovered the said loan advanced to them;

(c) if answer to parts (a) and (b) above be in affirmative what action Government propose to take against such persons for cheating the public financial institutions; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the cases sanctioned under Self-Employment to the Educated Unemployed Youth (SEEUY) which was introduced in the year 1983-84. Reserve Bank of India (RBI) has reported that no complaint, as such, has been brought to its notice regarding employed persons receiving loans from the bank on the basis of false documents. However, there was one instance where an employed person availed the loan under the Self-Employment Scheme from a branch by misrepresentation of facts for the benefit of his brothers who were not technically fit, for being selected under the Scheme. Subsequently, on the discovery that the loan was se-